

योजना का नाम—.....
वर्ष हेतु कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ।
पंजीकरण सं०—..... दिनांक..... समय.....
पंजीकरण कर्ता भण्डार प्रमारी के हस्ताक्षर.....

सेवा में,

मुख्य कृषि अधिकारी
हरिद्वार।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी ने कृषि कार्यो हेतु अपनी पसन्द का कृषि यंत्र/मशीन कय किया है।
अतः प्रार्थी को कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्र पर देय अनुदान दिलवाने की कृपा करें।

मेरा व कय यंत्र का विवरण निम्न प्रकार है।

1—लाभार्थी कृषक का नाम —.....
(दूरभाष नम्बर—.....)

2— बैंक का नाम बैंक का खाता न०.....
आई०एफ०एस०सी०कोड (बैंक खाते का विवरण पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरे)

3—लाभार्थी कृषक के पिता/पति का नाम.....

4—कृषक की जाति (सामान्य अथवा अनुसूचित)—..... (अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र सलंगन करें)

5— लाभार्थी के पास कुल कृषि योग्य भूमि—..... हेक्टेयर में। (खसरा खतौनी की नकल सलंगन करें)

6—श्रेणी (सीमान्त, लघु, सामान्य)—..... ।

7—लाभार्थी का स्थायी पता—ग्राम—..... विकास खण्ड—..... जनपद—हरिद्वार।

8—कृषक द्वारा कय किये गये यंत्र का विवरण—

क. यंत्र का नाम—..... ख. निर्माता/विक्रेता फर्म का नाम—.....

ग. मेक व माडल—..... घ— यंत्र पर अकिंत सिरियल न०.....

य. रसीद सं०—..... दिनांक—..... धनराशि रू०.....

अनिवार्य—बी०आई०एस०/आई०एस०आई०/टैस्टिंग रिपोर्ट का प्रमाण

9—मैं स्वयं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उक्त दिये गये सभी तथ्य सही हैं। उक्त कृषि यंत्र पर मेरे द्वारा प्रथम बार अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है, कय किया गया यंत्र मैं तीन वर्षों तक नहीं बेचूंगा/बेचुगी। किसी भी जांच/सत्यापन कर्ता को यंत्र की जांच/सत्यापन करवाऊंगा। उपरोक्त तथ्य गलत पाये जाने पर कृषि विभाग किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिये स्वतन्त्र होगा। यदि तीन वर्ष के अन्दर अनुदानित यंत्र बेचा जाता है तो देय अनुदान की धनराशि ब्याज सहित वापस करने हेतु मैं उत्तरदायी रहूंगा/रहूगी। जिसके लिए मैं कोई दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूगी।
सलंगनक—..... पृष्ठ एवं बैंक पास बुक की प्रथम पृष्ठ की फोटो प्रति।

प्रार्थी कृषक के हस्ताक्षर

10—मैं श्री/श्रीमती पिता/पति का नाम..... ग्राम..... को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मैं इनकी पहचान करता/करती हूँ।

ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर

(मुहर सहित)

11—प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... द्वारा कय कृषि यंत्र..... की जांच मेरे द्वारा मौके पर जाकर की गयी है। उपरोक्तानुसार वर्णित विवरण पूर्ण रूप से सही है। कृषक अनुदान प्राप्त करने का पात्र है।

हस्ताक्षर तिथि सहित.....

सम्बन्धित न्यायपंचायत का नाम.....

न्याय पंचायत प्रमारी का नाम.....

12—प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... द्वारा कय कृषि यंत्र..... का सत्यापन दिनांक को फर्म के बिल से मेरे द्वारा मौके पर जाकर कर लिया गया है। उपरोक्तानुसार वर्णित विवरण पूर्ण रूप से सही है। कृषक अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र है। अतः कृषि यंत्र पर अनुदान दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर तिथि सहित.....

वि०ख० प्रमारी का नाम.....

वि० ख० का नाम.....

सीधे फर्म से अनुदान लिए जाने की दशा में कृषक द्वारा भरा जाये

मैंने मैसर्स से एक कृषि यंत्र..... कय किया है जिसका अनुदान रू०..... मेरे द्वारा कृषि यंत्र कय करते समय ही सम्बन्धित फर्म से प्राप्त कर लिया है। अतः अनुदान की धनराशि रू०..... का भुगतान सम्बन्धित फर्म को कर दिया जाये।

ह०

कृषक का नाम.....

फर्म द्वारा अनुदान दिये जाने की दशा में फर्म द्वारा भरा जाये

मैंने फर्म का नाम..... कृषक श्री..... पिता का नाम..... ग्राम..... को अनुदान रू० देकर कृषि यंत्र..... विक्रय किया है। अनुदान का भुगतान फर्म को करने का कष्ट करें। कृषि विभाग द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकृत न होने की दशा में फर्म द्वारा कृषि विभाग के विरुद्ध कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

ह०

फर्म का नाम.....

(नोट:- आवेदन पत्र के सभी विवरण पूर्ण रूप से स्पष्ट भरे)